

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

विजयसिंह बनाम माडूराम आदि

दावा बाबत :- 88.87 Act

मुकदमा नम्बर :- 121/2021

निर्णय दिनांक :- 2-12-2021

वादी की ओर से वकील विनोद गुनिया की व प्रतिवादी सं० 1 का 6 की ओर से वकील उमेश मोहनसु की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 2-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि शेष मोजा कुंजी के खाता सं० 96/95 के खसरा सं० 59 की 1 गठ है, खसरा सं० 55 की 5-525 है, खसरा सं० 128 की 1-57 है, खसरा सं० 55 की 5-336 है कुल 13 पात है कारनी कुमि मुमि प्रतिवादी संग माडूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है से प्रतिवादी सं० 1 माडूराम का नाम कलमजब किया जाकर वादी विजयसिंह व प्रतिवादी सं० 2 रामप्रसाद, प्रतिवादी सं० 3 जगतपालसिंह प्रतिवादी सं० 4 मोमप्रकाश को बहिस्सा बराबर के खातेदार काउन्सिल घोषित किए जाते हैं मुक्ति प्रतिवादी सं० 5 व 6 ने अपना समुची हक व हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 का 4 के पक्ष में त्याग कर मुन्य कर लिया है उसी लिए त्याग किये गये हिस्से पूरे पंजायन विभाग को देय पंजायन मुक्त एवं स्वाम्य उभुष्टी अदा करने व यदि कृषि भूमि बंका के रख हो तो रहनमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल परामर्श किया जावे/राजी नाम को डिक्री का अंग पढा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.
 सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
 भादरा, कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा
 प्र.गा. के संग अ-2021
 कैम्प